निग. – 2125 – III – 15

376

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. मोतीमहल ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2015 उमरिया

(1) कौशल प्रसाद पुत्र प्रहलाद गुप्ता निवासी ग्राम बल्लौढ, पो. मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)

(2) विजय किशोर पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम मानपुर, तह. मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.)

——— प्रार्थीगण

बनाम

(1) रामसिया पुत्र कमला प्रसाद निवासी मानपुर, तह. मानपुर, जिला उमरिया

(2) म. प्र. शासन, द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया

——— प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया निर्णय दिनांक 11.05.2015 पारित प्रकरण क्रमांक 28/स्वमेव–निगरानी/2010–11 अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान्

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है ।

(1) यह कि, श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला उमरिया के द्वारा प्रतिप्रार्थी के हित में दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत नायब तेहसीलदार मानपुर का पारित आदेश धारा 50 (1) के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में लिये जाने के बाद प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलिखित साक्ष्य के विपरीत स्वमेव निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है ।

(2) यह कि, प्रतिप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिहीन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4125-तीन/2015 जिला उमरिया कौशल विरूद्ध रामसिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ओ.पी.शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री आनंद कुमार दुबे उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 28/स्व.निग./2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-12-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण	

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 15/01/19
सदस्य